

न्यायालय जिला कलक्टर, झुझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 87/2021

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी सुलताना, वार्ड नं0 17, तहसील चिडावा, जिला झुझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.06.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 87/2021 पर दिनांक 01.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021 /1659-60 दिनांक 02.06.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ने पत्रांक आर0टी0आई0/2021/54 दिनांक 16.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जितेन्द्र सिंह निवासी सुलताना का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1909/1089 के संबंध में सूचना चाही गयी है। आवेदक को उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक (1)पंजी0/21/39 दिनांक 01.04.2021 एवं (2) भू0अ0/2021/1047 दिनांक 23.04.2021 के द्वारा कार्यालय से सूचित किया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लो0सू0अ0 (तहसीलदार) चिडावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2021/54 दिनांक 16.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जितेन्द्र सिंह निवासी सुलताना का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2021 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1909/1089 के संबंध में सूचना चाही गयी है। आवेदक को उक्त सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक (1)पंजी0/21/39 दिनांक 01.04.2021 एवं (2) भू0अ0/2021/1047 दिनांक 23.04.2021 के द्वारा कार्यालय से सूचित किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयवाधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)

जिला कलक्टर, झुझुनू

21/6/21